रामपुर (विधियों को लागू करने का) अधिनियम (ऐक्ट), 1950 ई०[1]

[उत्तर प्रदेशीय अधिनियम सं० 12, 1950 ई०]

[उत्तर प्रदेशीय विधान सभा ने दिनांक 1 मार्च, 1950 ई० तथा उत्तर प्रदेशीय विधान परिषद् ने दिनांक 9 मार्च, 1950 की बैठक में स्वीकृत किया ।

"भारत के संविधान" के अनुच्छेद 200 के अन्तर्गत राज्यपाल ने दिनांक 16 मार्च, 1950 ई० को स्वीकृति प्रदान की और उत्तर प्रदेशीय सरकारी असाधारण गजट में दिनांक 16 मार्च, 1950 ई० को प्रकाशित हुआ ।]

कुछ विधियों (कानूनों) को रामपुर में लागू करने के लिए

अधिनियम (ऐक्ट)

स्टेट्स मर्जर (यू० पी०) आर्डर, 1949 ई० के अनुसार रामपुर का शासन प्रबन्ध, उत्तर प्रदेश राज्य के एक भाग के रूप में किया जायेगा ;

कुछ ऐसे विधि (कानून) जो उत्तर प्रदेश के अवशेष भाग में प्रचलित थे, रामपुर (एप्लीकेशन आफ लाज) आर्डिनेन्स, 1949 ई० द्वारा रामपुर में प्रसारित और लागू किये गये हैं, और

उक्त आर्डिनेन्स के स्थान में विधान मण्डल द्वारा अधिनियम बनाया जाना आवश्यक है,

इसलिये नीचे लिखा अधिनियम (ऐक्ट) बनाया जाता है–

छोटा नाम, विस्तार और प्रारम्भ

1–(1) इस अधिनियम का नाम रामपुर (विधियों को लागू करने का), अधिनियम (ऐक्ट), 1950 ई० होगा ।

(2) यह सारे रामपुर में लागू होगा ।

(3) यह 30 दिसम्बर, 1949 ई० से प्रचलित हुआ समझा जायेगा ।

परिभाषायें

2–इस अधिनियम में जब तक की कोई बात, विषय या प्रसंग के विपरीत न हो,–

(क) "आधिकारिक" (अथारिटी) के अन्तर्गत कमेटी, बोर्ड तथा ट्रिव्यूनल हैं,

(ख) "रामपुर" का अर्थ वहीं है, जो उसे रामपुर (ऐडमिनिस्ट्रेशन) आर्डर, 1949 ई० में दिया गया है,

(ग) "राज्य सरकार" का तात्पर्य उत्तर प्रदेश राज्य की सरकार से है,

(घ) "रियासती कानून" (स्टेट लॉ) के अन्तर्गत वे अधिनियम (ऐक्ट), नियम (रूल), विनियम (रेगुलेशन), उपनियम (बाई ला), आज्ञा और परिपत्र (सर्कुलर) हैं, जो कानून का प्रभाव रखते हों और जो 30 दिसम्बर, 1949 ई० के पहिले से रामपुर मे लागू रहे हों ।

---

1. उद्देश्य और कारणों के विवरण के लिए कृपया दिनांक 22 फरवरी, 1950 ई० का सरकारी असाधारण गजट देखिए ।

3–(1) अनुसूची (शेड्यूल) 1 में उल्लिखित विधायनों का इस धारा द्वारा रामपुर में विस्तार किया जाता है और वे निम्नलिखित के अधीन वहां प्रचलित होंगे :– **कानूनों का प्रसार**

(क) कोई ऐसा संशोधन, जो उनमें 30 नवम्बर, 1949 ई० तक सयुक्त प्रान्त में सामान्य रूप से या संयुक्त प्रान्त में लागू होने के सम्बन्ध में हुआ हो ;

(ख) ऐसे परिष्कार और प्रतिबन्ध, यदि उनका उल्लेख उपर्युक्त अनुसूची में हो, और

(ग) इस अधिनियम के निदेश जो आगे दिये हुये है ।

(2) ऐसे किसी विधायन में किसी बात के होते हुये भी, वह विधायन उस दशा को छोड़कर, जिसके सम्बन्ध में उक्त अनुसूची में प्रत्यक्ष रूप से निदेश हों, ऐसी तारीख से लागू होगा जो राज्य सरकार सरकारी गजट में विज्ञप्ति द्वारा निर्धारित करे । किसी विधायन के भिन्न–भिन्न निदेशों के लिये या रामपुर के भिन्न–भिन्न भागों के लिये भिन्न–भिन्न तारीखें निर्धारित की जा सकती है ।

(3) यदि उपधारा (2) द्वारा या उसके अधीन कोई विधायन लागू किया जाय तो राज्य सरकार ऐसे निर्देश दे सकती है, जो निम्नलिखित के सम्बन्ध में हस्तान्तरण के लिये आवश्यक हों :––

(क) कोई नालिश, मुकदमा या अन्य कार्यवाही जो उक्त विधायन के लागू किये जाने के ठीक पहले दिन किसी ऐसी अदालत या ट्रिब्यूनल में विचाराधीन हो या जो दायर या प्रारम्भ को गई हो, जो उक्त कानून के कारण या उसके प्रसार और लागू किये जाने के फलस्वरूप तोड़ दी गई हों ;

(ख) कोई कार्यवाही, मामला या कार्य जो उक्त तारीख को किसी ऐसे आधिकारिक या अधिकारी के समक्ष विचाराधीन हो या दायर किया गया या प्रारम्भ हुआ हो, जिसका अधिकार–क्षेत्र ऐसे विधायन के प्रसार किए जाने और उसके लागू किये जाने के अनुसार या उससे परिणामस्वरूप समाप्त हो गया हो ।

4–यदि इस अधिनियम द्वारा या इसके अधीन रामपुर में किसी विधायन (इनैक्टमेंट) का प्रसार किया गया हो और वह लागू हो और उसमें इस बात की व्यवस्था को गई हो कि किसी आधिकारिक या अधिकारी की किस प्रकार स्थापना की जाय, उसका संगठन किया जाये या उसकी नियुक्ति की जाये, तो राज्य सरकार को अधिकार होगा कि वह ऐसे विधायन में किसी भी बात के रहते हुये भी ; **अधिकारिकों या अधिकारियों की नियुक्ति**

(क) यह निर्देश दे कि जब तक ऐसा अधिकारी या आधिकारिक नियुक्त न कर दिया जाये, उसकी स्थापना न कर दिया जाय या उसका संगठन न कर दिया जाय, जैसा कि ऊपर बताया गया है, ऐसे अधिकारी या आधिकारिक द्वारा प्रयोग में लाये या किये जाने वाले अधिकार, कर्त्तव्य या कार्य, ऐसा अधिकारी या आधिकारिक उस ढंग से प्रयोग में लाये या करेगा, जिसे राज्य–सरकार इस सम्बन्ध में निर्दिष्ट करे ; या

(ख) यदि ऐसे अधिकारी या ऐसे आधिकारिक में सम्मिलित सभी या किसी सदस्य का चुनाव करना हो, तो ऐसे अधिकारी अथवा उक्त आधिकारिक की स्थापना अथवा संगठन के लिये ऐसे सदस्य नामजद करे और इस प्रकार नामजद किये हुए अधिकारी या सदस्य के सम्बन्ध में उक्त विधायन के प्रयोजनों के लिये यह समझा जायगा मानों वह उस विधायन के अनुसार उचित रूप से चुना गया है ;

(ग) ऐसे अधिकारी या सदस्य का कार्य–काल नियत करे, और

(घ) किसी कमेटी या बोर्ड में रामपुर के प्रतिनिधित्व की व्यवस्था करे और उसके प्रतिनिधियों को नामज़दगी करे।

समान राज्य के विधि (कानून) को रद्द करना

5–(1) यदि इस अधिनियम के लागू होने के ठीक पहले रामपुर में कोई ऐसा रियासती कानून लागू हों, जो अनुसूची 1 में उल्लिखित विधायन के समान हो, चाहे ऐसा रियासती कानून एक्स्ट्रा प्राविंशियल ज्यूरिसडिक्शन ऐक्ट, 1947 ई० के अधीन किसी आज्ञा द्वारा लागू हो या किसी दूसरे विधि (कानून) बनाने के अधिकार (लेजिस्लेटिव पावर) के अनुसार लागू हो, तो ऐसा समान रियासती कानून उस तारीख से और उस सीमा तक, जहां तक धारा 3 की उपधारा (2) के अनुसार और उसके अधीन कोई विधायन लागू होता हो, रद्द हो जायगा ।

(2) अनुसूची 2 में उल्लिखित रियासती कानून इस अधिनियम के लागू होने की तारीख से रद्द किये जाते है ।

अपवाद

6–(1) यदि कोई रियासती कानून धारा 5 की उपधारा (1) या (2) के अधीन रद्द किया गया हो,

1897 ई० की ऐक्ट सं० 10

(क) और यदि अनुसूची 1 में उल्लिखित समान विधायन, कोई केन्द्रीय अधिनियम (सेन्ट्रल ऐक्ट) हो तो इस प्रकार रद्द किये गये रियासती कानून पर जनरल क्लाज़ेज ऐक्ट, 1897 ई० की धारा 6 के निदेश उसी प्रकार लागू होंगे मानो वह एक ऐसा अधिनियम (ऐक्ट) था, जो किसी केन्द्रीय अधिनियम (सेन्ट्रल ऐक्ट) द्वारा रद्द किया गया है,

1904 ई० का संयुक्त प्रान्तीय ऐक्ट सं० 1

(ख) और यदि अनुसूची 1 में उल्लिखित समान विधायन, कोई संयुक्त प्रान्तीय ऐक्ट (यूनाइटेड प्रांविसेज ऐक्ट) हो, तो यूनाइटेड प्राविंसेज जनरल क्लाजेज ऐक्ट, 1905 ई० की धारा 6 के निदेश इस प्रकार रद्द किये हुए रियासती कानून पर उसी प्रकार लागू होंगे मानों वह एक ऐसा अधिनियम (ऐक्ट) था, जो किसी युक्त प्रान्तीय ऐक्ट (यूनाइटेड प्राविंसेज ऐक्ट) द्वारा रद्द किया गया है ।

(2) किसी विचाराधीन कार्यवाही या जांच–पड़ताल के प्रयोजनों के लिये या किसी ऐसे अधिकार, विशेष अधिकार, उत्तरदायित्व या दायित्व के लागू होने के लिये जो रियासती कानून के अधीन प्राप्त किया गया हो, उत्पन्न हुआ हो या लागू हो गया हो, इस अधिनियम द्वारा रद्द किये गये किसी रियासती कानून में किसी अधिकारी, आधिकारिक या अदालत के उल्लेख से किसी ऐसे समान अधिकारी, आधिकारिक या अदालत का उल्लेख समझा जायेगा, जो उन विधायनों द्वारा या उनके अधीन नियुक्त किया या की जाये या बनाई जाये, जो उस अधिनियम द्वारा रामपुर में प्रसारित और लागू किये जाये :

किन्तु प्रतिबन्ध यह है कि यदि कोई ऐसा प्रश्न उठे कि ऐसा समान अधिकारी, आधिकारिक या अदालत कौन हो सकता है या हो सकती है, तो उस पर राज्य–सरकार का निर्णय अन्तिम माना जायेगा।

(3) उपधारा (1) और (2) के निदेशों को बाधित न करते हुये ऐसे समान विधि (कानून) के अन्तर्गत किये गये किसी भी कार्य या की गई किसी भी कार्यवाही के सम्बन्ध में, जिसके अन्तर्गत कोई नियुक्त या सौंपे गये अधिकार, जारी की गई विज्ञप्ति, आज्ञा, निर्देश या आदेश, बनाये गये नियम, विनियम, फार्म, उपनियम या योजना, दिये गये प्रमाण–पत्र, पेटेन्ट, परमिट या लाइसेंन्स या किया गया रजिस्ट्रेशन है ;

(क) यह समझा जायेगा कि वह इसमें दिये गये विधायनों के उस समान निदेश के अधीन किया गया या की गई है, जिनका इस अधिनियम द्वारा रामपुर में प्रसार किया गया हो और जिसे वहां लागू किया गया हो ; और

(ख) वह उस समय तक लागू रहेगा या रहेगी जब तक कि राज्य सरकार या दूसरा उपयुक्त अधिकारी उक्त विधायनों के अधीन विपरीत आदेश न दे या जब तक वह उसके द्वारा किये गये किसी कार्य या किसी कार्यवाही द्वारा रद्द न कर दी जायेः

किन्तु प्रतिबन्ध यह है कि उक्त विधायन में किसी बात के होते हुये भी राज्य–सरकार को अधिकार होगा कि वह किसी भी दशा में किसी भी विचाराधीन कार्यवाही को मंसूख कर दे ।

विधिक व्यवसायी (लीगल प्रैक्टिशनर्स)

7–(1) किसी ऐसे व्यक्ति को, जिसे इस अधिनियम के लागू होने के ठीक पहले की तारीख पर रियासती कानून के अनुसार रामपुर में उस तारीख पर स्थित अदालतों में एडवोकेट, वकील या मुख्तार की हैसियत से काम करने का अधिकार प्राप्त था, किसी विधि (कानून) में किसी बात के होते हुये भी अब से छः महीने की सीमित अवधि में रामपुर को ऐसी अदालतों में उसी प्रकार काम करने का अधिकार होगा जो इस समय तक स्थापित हो चुका है ।

(2) उक्त अवधि के बीत जाने के बाद किसी एडवोकेट, वकील या मुख्तार के सम्बन्ध में केवल उपधारा (1) के आदेशों के कारण ही यह नहीं समझा जायेगा कि वह ऐसी अदालतों में काम करने का अधिकारी है ।

अनुकूलन के लिये अदालतों और अन्य आधिकारिकों के अधिकार

8–अनुसूची 1 में उल्लिखित किसी विधायन को रामपुर में प्रचलित करने को सुविधा के प्रयोजनों से कोई भी अदालत या दूसरा आधिकारिक किसी ऐसे विधायन के निदेशों का, ऐसे परिवर्तन या संशोधन के साथ, जिनसे निदेश के आशय (सब्सटेंस) पर प्रतिकूल प्रभाव न पड़ें, ऐसा अर्थ लगा सकता है जो अदालत या आधिकारिक के सामने, जैसी भी दशा हो, उपस्थित मामले में अनुकूल के लिये आवश्यक या उचित हो ।

कठिनाईयों को दूर करने का अधिकार

9–(1) क्योंकि रियासती कानूनों के निदेशों के स्थान पर उन विधायनों निदेशों को लागू करने के सम्बन्ध में कठिनाई उत्पन्न हो सकती है, जिनको इस अधिनियम द्वारा रामपुर में प्रसारित और लागू किया जाये ;

और क्योंकि इस अधिनियम के पास होने की तारीख पर इसका अनुमान नहीं किया जा सकता है कि किस प्रकार की कठिनाइयां उत्पन्न होंगी और उनको दूर करने के लिये किस प्रकार के निदेश किये जायें ;

इसलिये ऐसे वैधानिक परिवर्तन में सुविधा देने के प्रयोजन से किसी आज्ञा द्वारा, जिससे किसी सम्बन्धित विधायन के आशय पर कोई विपरीत प्रभाव न पड़ें, राज्य सरकार–

(क) निर्देश कर सकती है कि इस अधिनियम के लागू होने की तारीख से छः महीने की अवधि के लिये उन विधायनों में से, जिनका इस अधिनियम द्वारा रामपुर में प्रसार किया गया हो या जो वहां लागू हो गए हों, किसी के निदेश ऐसे परिवर्तनों और संशोधनों के अधीन लागू होंगे, जो निर्दिष्ट किये जाये ; और

(ख) उपर्युक्त कठिनाइयों को दूर करने के लिये ऐसे दूसरे अस्थायी निदेश कर सकती है, जो निर्दिष्ट किये जायें ;

(2) इस अधिनियम के लागू होने की तारीख से छः मास बीतने पर इस धारा के अधीन कोई भी आज्ञा नहीं जारी की जायेगी ।

1904 ई० का संयुक्त प्रान्तीय ऐक्ट सं० 1

10–रामपुर (एप्लीकेशन आफ लाज) आर्डिनेन्स, 1949 ई० इसके द्वारा रद्द किया जाता है और यूनाइटेड प्राविंसेज जेनरल क्लाजेज ऐक्ट, 1904 ई0 की धारा 6 और 24 उसे इस प्रकार लागू होंगी मानो वह आर्डिनेन्स ऐसा अधिनियम (ऐक्ट) था, जिसे किसी युनाइटेड प्राविंसेज ऐक्ट द्वारा रद्द किया गया हो ।

अनुसूची 1

भाग 1

विनियम और केन्द्रीय ऐक्ट

क्रम–संख्या	वर्ष	संख्या	विनियमों या ऐक्टों का विषय या छोटा नाम	परिष्कार यदि कोई हों और उनके लागू होने की तारीख
1	2	3	4	5
1	1793	38	दी इन्डियन सिविल सर्विस (बंगाल) लोन्स प्रोहिविशन रेगुलेशन्स, 1793 ई०	तुरन्त लागू होगा
2	1799	5	दी बंगाल विल्स ऐन्ड इन्टेसटेसी रेगुलेशन, 1799 ई०	,,
3	1817	20	दी बंगाल पुलिस रेगुलेशन, 1817 ई० . .	,,
4	1822	11	दी बंगाल गवर्नमेंट इंडेम्निटी रेगुलेशन, 1822 ई०	,,
5	1823	6	दी बंगाल इंडिगो कंट्रैक्ट्स रेगुलेशन, 1823 ई० . .	,,
6	1823	7	दी इंडियन सिविल सर्विस (बंगाल) लोन्स प्रोहिविशन रेगुलेशन, 1823 ई०	,,
7	1825	11	दी बंगाल ऐलुवियन ऐन्ड डिलुवियन रेगुलेशन, 1825 ई०	,,
8	1827	5	दी बंगाल अटैच्ड इस्टेट्स मैनेजमेंन्ट रेगुलेशन, 1827 ई०	,,
9	1829	17	दी बंगाल सती रेगुलेशन, 1829 ई०	,,
10	1830	5	दी बंगाल इंडिगो कन्ट्रैक्ट्स रेगुलेशन, 1830 ई० . .	,,
11	1831	11	पुलिस पावर्स ऑफ तहसीलदार्स रेगुलेशन, 1831 ई०	,,
12	1836	10	दी बंगाल इंडिगो कन्ट्रैक्ट्स ऐक्ट, 1836 ई० . .	,,
13	1846	1	दी लीगल प्रैक्टिशनर्स ऐक्ट, 1846 ई०	...
14	1850	18	दी जुडीशियल आफिसर्स प्रोटेक्शन ऐक्ट, 1850 ई०	तुरन्त लागू होगा
15	1850	37	दी पब्लिक सर्वेन्ट्स (इन्क्वायरीज़) ऐक्ट, 1850 ई०	,,
16	1853	20	दी लीगल प्रैक्टिशनर्स ऐक्ट, 1853 ई०	...
17	1856	12	दी सिविल कोर्ट्स अमीन्स ऐक्ट, 1856 ई० . .	तुरन्त लागू होगा

क्रम–संख्या	वर्ष	संख्या	विनियमों या ऐक्टों का विषय या छोटा नाम	परिष्कार यदि कोई हों और उनके लागू होने की तारीख
1	2	3	4	5
18	1860	21	दी सोसाइटीज रजिस्ट्रेशन ऐक्ट, 1860 ई० . .	, ,
19	1861	5	दी पुलिस ऐक्ट, 1861 ई०	, ,
20	1863	23	दी वेस्ट लैंड (क्लेम्स) ऐक्ट, 1863 ई० . .	, ,
21	1867	22	दी सरायेज ऐक्ट, 1867 ई०	, ,
22	1867	3	दी पब्लिक गैम्बलिंग ऐक्ट, 1867 ई०	...
23	1869	13	प्रोसीजर आफ हाई कोर्ट, आगरा	तुरन्त लागू होगा
24	1870	7	दी कोर्ट फीस ऐक्ट, 1870 ई०	...
25	1871	1	दी कैंटिल ट्रेसपास ऐक्ट, 1871 ई०	तुरन्त लागू होगा
26	1873	8	दी नार्दर्न इंडियन कैनाल ऐक्ट ड्रेनेज ऐक्ट, 1873 ई०	...
27	1873	16	दी नार्थ वेस्टर्न प्राविंसेज विलेज ऐन्ड रोड पुलिस ऐक्ट, 1873 ई०	...
28	1876	19	दी ड्रामेटिक परफार्मेन्स ऐक्ट, 1876 ई० . .	...
29	1878	6	दी इस्टियन ट्रेजर ट्रोव ऐक्ट, 1878 ई० . . .	तुरन्त लागू होगा
30	1878	17	दी नार्दर्न इंडिया फेरिज ऐक्ट, 1878 ई० . .	...
31	1879	14	दी हैकनी कैरेज ऐक्ट, 1879 ई०	...
32	1879	18	दी लीगल प्रैक्टिशनर्स ऐक्ट, 1879 ई० . .	...
33	1880	1	दी रिलिजस सोसाइटी ऐक्ट, 1880 ई० . .	...
34	1880	13	दी वैक्सीनेशन ऐक्ट, 1880 ई०	...
35	1881	11	दी म्युनिसिपल टैक्सेशन ऐक्ट, 1881 ई० . .	...
36	1882	5	दी इंडियन ईजमेंट ऐक्ट, 1882 ई०	तुरन्त लागू होगा
37	1883	19	दी लैन्ड इम्प्रूवमेंट लोन्स ऐक्ट, 1883 ई० . .	, ,
38	1884	12	दी एग्रीकल्चरिस्ट्स लोन्स ऐक्ट, 1884 ई	, ,
39	1886	6	दी बर्थ, डेथ्स ऐण्ड मैरेजेस रजिस्ट्रेशन ऐक्ट, 1886 ई0	, ,
40	1887	7	दी सूट्स वैल्युएशन ऐक्ट, 1887 ई0	, ,
41	1887	9	दी प्राविन्शियल स्माल काज कोर्ट्स ऐक्ट, 1887 ई०	...

क्रम–संख्या	वर्ष	संख्या	विनियमों या ऐक्टों का विषय या छोटा नाम	परिष्कार यदि कोई हों और उनके लागू होने की तारीख
1	2	3	4	5
42	1890	1	दी रेवन्यू रिकवरी ऐक्ट, 1890 ई0	तुरन्त लागू होगा
43	1890	6	दी चैरिटेबुल एन्डाउमेंन्ट्स ऐक्ट, 1890 ई० . .	...
44	1894	1	दी लैंड एक्वीजिशन ऐक्ट, 1894 ई0	तुरन्त लागू होगा
45	1894	9	दी प्रिजन्स ऐक्ट, 1894 ई०	,,
46	1897	3	दी एपीडेमिक डिजीजेज ऐक्ट, 1897 ई० . .	,,
47	1897	8	दी रिफार्मेटरी स्कूल्स ऐक्ट, 1897 ई० . .	,,
48	1899	2	दी इंडियन स्टैम्प्स ऐक्ट, 1899 ई०	...
49	1899	13	दी ग्लैंडर्स ऐन्ड फार्सी ऐक्ट, 1899 ई० . .	...
50	1900	3	दी प्रिजनर्स ऐक्ट, 1900 ई०	तुरन्त लागू होगा
51	1910	5	दी डूराइन ऐक्ट, 1910 ई०	...
52	1912	2	दी कोआपरेटिव सोसाइटीज ऐक्ट, 1912 ई० .. .	तुरन्त लागू होगा
53	1912	8	दी वाइल्ड वर्ड्स् ऐन्ड एनीमल्स प्रोटेक्शन ऐक्ट, 1912 ई०	,,
54	1914	9	दी लोकल अथारिटीज लोन्स ऐक्ट, 1914 ई० . .	,,
55	1917	5	दी डेस्ट्रक्शन आफ रिकार्ड्स ऐक्ट, 1917 ई० . .	,,
56	1918	10	दी यूजीरिस लोन्स ऐक्ट, 1918 ई०	,,
57	1920	3	दी यू० पी० टाउन इम्प्रूवमेंट (अपील्स) ऐक्ट, 1920 ई०	,,
58	1920	14	दी चैरिटेबिल एन्ड रिलीजस ट्रस्ट्स ऐक्ट, 1920 ई०	...
59	1920	33	दी आइडेन्टीफिकेशन आफ प्रिजनर्स ऐक्ट, 1920 ई०	तुरन्त लागू होगा
60	1922	22	दी पुलिस (इन्साइटमेंन्ट टू डिसअफेक्शन) ऐक्ट, 1922 ई०	,,
61	1925	19	दी प्रावीडेन्ट फन्ड्स ऐक्ट, 1925 ई० . .	...
62	1927	16	दी इंडियन फारेस्ट्स ऐक्ट, 1927 ई० . .	तुरन्त लागू होगा
63	1930	33	दी मुसलमान वक्फ वैलीडेटिंग ऐक्ट, 1930 ई० . .	...
64	1937	1	दी एग्रीकल्चरल प्रोड्यूस (ग्रेडिंग एन्ड मार्केटिंग) ऐक्ट, 1937 ई०	तुरन्त लागू होगा

भाग 2

युक्त प्रान्तीय ऐक्ट और आर्डिनेन्स

क्रम–संख्या	वर्ष	संख्या	आर्डिनेन्सों या ऐक्टों का विषय या छोटा नाम	परिष्कार यदि कोई हों और उनके लागू होने की तारीख
1	2	3	4	5
1	1892	2	दी यू0 पी0 विलेज सैनीटेशन ऐक्ट, 1892 ई0	तुरन्त लागू होगा
2	1896	2	दी यू0 पी0 आनरेरी मुन्सिफ ऐक्ट, 1896 ई0	. .
3	1899	2	कलेक्शन आफ टैक्सेज बाई रेलवे ऐडमिनिस्ट्रेशन ऐक्ट, 1896 ई0	. .
4	1901	3	दी यू0 पी0 लैण्ड रेवेन्यू ऐक्ट, 1901 ई0	अध्याय 1, 2 और अध्याय 3 की 21 से 27 तक धारायें 1 दिसम्बर, 1949 ई0 को और उक्त दिनांक से लागू होगी
5	1904	1	दी यूनाइटेड प्राविंसेज जनरल क्लाजेज ऐक्ट, 1904 ई0	तुरन्त लागू होगा
6	1910	4	दी यूनाइटेड प्राविंसेज एक्साइज ऐक्ट, 1910 ई0	. .
7	1912	4	दी यूनाइटेड प्राविंसेज कोर्ट ऑफ वार्ड्स ऐक्ट, 1912 ई0	तुरन्त लागू होगा
8	1912	6	दी यूनाइटेड प्राविंसेज प्रिवेन्शन ऑफ अडल्ट्रेशन ऐक्ट, 1912 ई0	. .
9	1914	1	दी यूनाइटेड प्राविसेंज लोकल रेट्स ऐक्ट, 1914 ई0	. .
10	1917	3	दी यूनाइटेड प्राविंसेज मेडिकल ऐक्ट, 1917 ई0	. .
11	1919	7	दी यूनाइटेड प्राविंसेज प्राइमरी एजूकेशन ऐक्ट, 1919 ई0	. .
12	1920	1	दी यूनाइटेड प्राविसेंज माइनर इरीगेशन वर्क्स ऐक्ट, 1920 ई0	.

क्रम–संख्या	वर्ष	संख्या	आर्डिनेन्सों या ऐक्टों का विषय या छोटा नाम	परिष्कार यदि कोई हों और उनके लागू होने की तारीख
1	2	3	4	5
13	1920	2	दी यूनाइटेड प्राविन्सेज प्राइवेट इरींगेशन वर्क्स ऐक्ट, 1920 ई०	तुरन्त लागू होगा
14	1920	7	दी यूनाइटेड प्राविन्सेज इस्टेट्स ऐक्ट, 1920 ई० . .	, ,
15	1921	2	दी इन्टरमीडियेट एजूकेशन ऐक्ट, 1921 ई० . .	. . .
16	1922	1	दी यूनाइटेड प्राविन्सेज एरियल रोडवेज़ ऐक्ट, 1922 ई०	. . .
17	1922	10	दी यूनाइटेड प्राविन्सेज डिस्ट्रिक्ट बोर्ड्स ऐक्ट, 1922 ई०	. . .
18	1922	12	दी यूनाइटेड प्राविंसेज बोर्ड आफ रेवेन्यू ऐक्ट, 1922 ई०	तुरन्त लागू होगा
19	1926	1	दी यूनाइटेड प्राविंसेज डिस्ट्रिक्ट बोर्ड्स प्राइमरी एजूकेशन ऐक्ट, 1926 ई०	. . .
20	1926	8	दी आगरा यूनिवर्सिटी ऐक्ट, 1926 ई०	तुरन्त लागू होगा
21	1927	2	दी आगरा प्राविन्सेज़ जमीन्दार्स एसोसियेशन कन्ट्रीब्युशन ऐक्ट, 1927 ई०	, ,
22	1929	2	दी नायक गर्ल्स प्रोटेक्शन ऐक्ट, 1929 ई० . .	. . .
23	1929	8	दी यूनाइटेड प्राविंसेज माइनर गर्ल्स प्रोटेक्शन ऐक्ट, 1929 ई०	. . .
24	1932	14	दी यूनाइटेड प्राविंसेज स्पेशल पावर्स ऐक्ट, 1932 ई0	. . .
25	1933	8	दी यूनाइटेड प्राविंसेज सेपरेशन आफ इम्मारल ट्रेफिक ऐक्ट, 1933 ई०	. . .
26	1934	15	दी यूनाइटेड प्राविंसेज नर्सेज, मिडवाइव्ज, असिस्टेन्ट मिडवाइव्ज ऐन्ड हेल्थ विजिटर्स रजिस्ट्रेशन ऐक्ट, 1934 ई०	. . .
27	1934	27	दी यूनाइटेड प्राविंसेज एग्रीकल्चरिस्ट्स रिलीफ ऐक्ट, 1934 ई०	. . .
28	1935	1	दी यूनाइटेड प्राविंसेज नेशनल पार्क्स ऐक्ट, 1935 ई०	तुरन्त लागू होगा
29	1935	5	दी यूनाइटेड प्राविसेंज मोटर वेहिकिल्स टैक्सेशन ऐक्ट, 1935 ई०	, ,
30	1936	10	दी यूनाइटेड प्राविंसेज़ फेमिन रिलीफ फंड ऐक्ट, 1936 ई०	, ,

क्रम–संख्या	वर्ष	संख्या	आर्डनेन्सों या ऐक्टों का विषय या छोटा नाम	परिष्कार यदि कोई हों और उनके लागू होने की तारीख
1	2	3	4	5
31	1936	11	दी यूनाइटेड प्राविन्सेज काटन पेस्ट कन्ट्रोल ऐक्ट, 1936 ई०	तुरन्त लागू होगा
32	1936	12	दी यूनाइटेड प्राविंसेज स्टेट ट्यूब वेल्स ऐक्ट, 1936 ई०	...
33	1936	13	दी यूनाइटेड प्राविंसेज मुस्लिम वक्फस ऐक्ट, 1936 ई०	...
34	1937	8	दी यू० पी० इन्टरटेनमेन्ट ऐन्ड वेटिंग टैक्स ऐक्ट, 1937 ई०	तुरन्त लागू होगा
35	1938	1	दी यू० पी० सुगर फैक्ट्रीज कन्ट्रोल ऐक्ट, 1938 ई०	, ,
36	1938	4	दी यू० पी० मेटरनिटी बेनीफिट ऐक्ट, 1938 ई० . .	तुरन्त लागू होगा
37	1938	5	दी यूनाइटेड प्राविसेज लेजिस्लेटिव चेम्बर्स (मेम्बर्स इमालुमेन्ट्स) ऐक्ट, 1938 ई०	, ,
38	1938	7	दी यूनाइटेड प्राविंसेज वोरेस्टल ऐक्ट, 1938 ई० . .	...
39	1938	16	दी यूनाइटेड प्राविंसेज मेलाज ऐक्ट, 1938 ई० . .	तुरन्त लागू होगा
40	1939	1	दी यूनाइटेड प्राविन्सेज सेल्स आफ मोटर स्प्रिट टैक्सेशन ऐक्ट, 1931 ई०	...
41	1939	8	दी यूनाइटेड प्राविंसेज कान्सोलिडेशन आफ होल्डिंग्स ऐक्ट, 1939 ई०	...
42	1939	10	दी यूनाइटेड प्राविसेज इन्डियन मेडिसिन ऐक्ट, 1939 ई०	...
43	1940	7	दी यूनाइटेड प्राविंसेज लेजिस्लेटिव मेम्बर्स रिमूवल आफ डिसक्वालिफिकेशन ऐक्ट, 1940 ई०	तुरन्त लागू होगा
44	1940	8	दी यूनाइटेड प्राविंसेज पावर अल्कोहल ऐक्ट, 1940 ई०	, ,
45	1940	13	दी यूनाइटेड प्राविसेज डेट रिडेम्पशन ऐक्ट, 1940 ई०	...
46	1940	14	दी यूनाइटेड प्राविंसेज रेगुलेशन आफ एग्रीकल्चरल क्रेडिट ऐक्ट, 1940 ई०	...

क्रम–संख्या	वर्ष	संख्या	आर्डिनेन्सों या ऐक्टों का विषय या छोटा नाम	परिष्कार यदि कोई हों और उनके लागू होने की तारीख
1	2	3	4	5
47	1944	2	दी यूनाइटेड प्राविंसेज फायर सर्विस ऐक्ट, 1944 ई०	तुरन्त लागू होगा
48	1945	10	यूनाइटेड प्राविंसेज रोड साइड लैण्ड कन्ट्रोल ऐक्ट, 1945 ई०	...
49	1947	2	दी यूनाइटेड प्राविंसेज कन्ट्रोल आफ सप्लाईज (टेम्पेरिरी पावर्स) ऐक्ट, 1947 ई०	तुरन्त लागू होगा
50	1947	5	दी यूनाइटेड प्राविंसेज काटन (स्टैटिस्टिक्स) ऐक्ट, 1947 ई०	...
51	1947	6	दी एलेक्ट्रिसिटी (टेम्पोरेरी पावर्स) आफ कन्ट्रोल ऐक्ट, 1947 ई०	...
52	1947	7	दी यूनाइटेड प्राविंसेज प्राविंशियलाइजेंशन आफ हास्पिटल्स ऐक्ट, 1947 ई०	...
53	1947	12	दी यूनाइटेड प्राविंसेज (टेम्पोरेरी) स्टोरेज रिक्वीजिशन ऐक्ट, 1947 ई०	...
54	1947	14	दी यूनाइटेड प्राविंसेज रिमूवल आफ सोशल डिसएविलिटीज ऐक्ट, 1947 ई०	तुरन्त लागू होगा
55	1947	20	दी यूनाइटेड प्राविंसेज वेटरीनरी काउन्सिल ऐक्ट, 1947 ई०	तुरन्त लागू होगा
56	1947	22	दी यूनाइटेड प्राविंसेज शाप्स ऐन्ड कामर्शियल इस्टैब्लिशमेंट ऐक्ट, 1947 ई० . .	...
57	1947	23	दी यूनाइटेड प्राविंसेज मोलासेज कन्ट्रोल ऐक्ट, 1947 ई०	...
58	1947	25	दी यूनाइटेड प्राविन्सेज (टेम्पोरेरी) एकोमोडेशन रिक्वीजिशन ऐक्ट, 1947 ई०	...
59	1947	26	दी यूनाइटेड प्राविंसेज पंचायत राज ऐक्ट, 1947 ई०	...
60	1947	27	दी यूनाइटेड प्राविंसेज रिक्वीजिशन आफ मोटर वेहिकिल्स (इमरजेन्सी पावर्स) ऐक्ट, 1947 ई० . .	तुरन्त लागू होगा
61	1947	28	दी यूनाइटेड प्राविंसेज इन्डस्ट्रियल डिस्प्यूट्स ऐक्ट, 1947 ई०	, ,
62	1948	7	दी यूनाइटेड प्राविंसेज रिफ्यूजीज रजिस्ट्रेशन ऐन्ड मूवमेन्ट ऐक्ट, 1948 ई०	, ,

क्रम–संख्या	वर्ष	संख्या	आर्डिनेन्सों या ऐक्टों का विषय या छोटा नाम	परिष्कार यदि कोई हों और उनके लागू होने की तारीख
1	2	3	4	5
63	1948	15	दी यूनाइटेड प्राविंसेज सेल्स टैक्स ऐक्ट, 1948 ई०	तुरन्त लागू होगा
64	1948	22	दी यूनाइटेड प्राविंसेज प्रिवेन्शन आफ ब्लैक मार्केटिंग (टेम्पोरेरी पावर्स) ऐक्ट, 1947 ई०	तुरन्त लागू होगा
65	1948	23	दी यूनाइटेड प्राविंसेज वेट्स ऐन्ड मेजर्स ऐक्ट, 1948 ई०	...
66	1948	26	दी यूनाइटेड प्राविंसेज लैण्ड एक्वीजिशन (रिहैबिलिटेशन आफ रिफ्यूजीज़) ऐक्ट, 1948	तुरन्त लागू होगा
67	1948	27	दी यूनाइटेड प्राविंसेज रूरल डेवलपमेंट (रिक्वीज़िशन आफ लैंड) ऐक्ट, 1948	, ,
68	1948	28	दी यूनाइटेड प्राविंसेज रिफ्यूजीज रिहैबिलिटेशन (लोन्स) ऐक्ट, 1948	, ,
69	1948	38	दी यूनाइटेड प्राविंसेज रक्षक–दल ऐक्ट, 1948 ई०	, ,
70	1948	39	दी यूनाइटेड प्राविंसेज एक्वीजिशन आफ प्रापर्टी (फ्लड रिलीफ) टेम्पोरेरी पावर्स ऐक्ट, 1948 ई० . .	, ,
71	1948	40	दी यूनाइटेड प्राविंसेज प्राविंशियल आर्म्ड कान्स्टेबुलरी ऐक्ट, 1948 ई०	, ,
72	1948	45	दी यूनाइटेड प्राविंसेज (फिशरीज) ऐक्ट, 1948 ई०	, ,
73	1948	47	दी यूनाइटेड प्राविंसेज टाउन इम्प्रूवमेंट (अडाप्टेशन) ऐक्ट, 1948 ई०	, ,
74	1949	2	दी यूनाइटेड प्राविंसेज आब्जेक्शनेबुल एडवरटाइजमेंन्ट कन्ट्रोल ऐक्ट, 1948 ई०	, ,
75	1949	6	दी यूनाइटेड प्राविंसेज प्राइवेट फारेस्ट्स ऐक्ट, 1948 ई०	...
76	1949	9	दी यूनाइटेड प्राविंसेज काटन जिनिंग ऐन्ड प्रेसिंग फैक्टरीज ऐक्ट, 1948 ई०	...
77	1949	11	दी यू० पी० मेन्टीनेन्स आफ पब्लिक आर्डर (अमेंडमेंट ऐन्ड प्रोसीडिंग्स वैलिडेशन) ऐक्ट, 1949 ई० . .	तुरन्त लागू होगा

आर्डिनेंसेज़

क्रम–संख्या	वर्ष	संख्या	आर्डिनेन्सों या ऐक्टों का विषय या छोटा नाम	परिष्कार यदि कोई हों और उनके लागू होने की तारीख
1	2	3	4	5
78	1949	4	दी यूनाइटेड प्राविंसेज एकोमोडेशन रिक्वीजिशन (अमेन्डमेंन्ट) आर्डिनेन्स, 1949 ई०	...
79	1949	5	दी यूनाइटेड प्राविंसेज (टेम्पोरेरी) कन्ट्रोल आफ रेन्ट ऐन्ड इविक्शन (अमेन्डमेन्ट) आर्डिनेन्स, 1949 ई०	...
80	1949	6	दी यूनाइटेड प्राविंसेज ड्रग (कन्ट्रोल) आर्डिनेन्स, 1941 ई०	तुरन्त लागू होगा
81	1949	9	दी यूनाइटेड प्राविंसेज जूट गुड्स (कन्ट्रोल) आर्डिनेन्स, 1949 ई०	, ,
82	1949	7	दी यूनाइटेड प्राविंसेज इन्टरमीडिएट एजूकेशन (अमेन्डमेंन्ट) आर्डिनेन्स, 1949 ई०	...

अनुसूची 2

अधिनियम की धारा 5 के अन्तर्गत रद्द किये गये रामपुर के रियायती कानूनों की सूची

1––रामपुर काउन्सिल खान्दान ऐक्ट, 1931 ई० ।

2––रामपुर रूरल सैनीटेशन ऐक्ट, 1939 ई० ।

3––रामपुर पुलिस चौकीदार्स ऐक्ट, 1947 ई० ।

4––रामपुर रिमूवल आफ डेड ऐनीमल्स ऐक्ट, 1947 ई० ।

5––रामपुर गुन्डाज़ ऐक्ट, 1947 ई० ।